

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र)

पत्रांक- 2434 / रेनुकूट / 15-108 दिनांक, रेनुकूट, दि 01-02- 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की बीना परियोजना को बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे0 आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में । (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/MIN/24551/2017) ।

संदर्भ:- 1-अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्र संख्या- 1917/81-2-2021-800(106)/2021 दिनांक- 27.01.2022
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक- 2232/11-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक- 27.01.2022

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना निम्नानुसार संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र0 सं0	अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्र संख्या- 1917/81-2-2021-800(106)/2021 दिनांक- 27.01.2022 में अंकित बिन्दु ।	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्ड लि0 की बीना परियोजना के बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे0 आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति विषयक प्रकरण में वन भूमि को 30 वर्षों के लीज पर दिये जाने की निर्धारित तिथि (कब से कब तक) क्या होगा ? तथा इसका आशय Previous Years से है । कृपया इस संबंध में संस्तुति सहित आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है प्रश्नगत प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि की लीज अवधि 30 वर्ष की होगी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी होने वाले आदेश की तिथि से प्रभावी होगा । इसका आशय Previous Years से नहीं है ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट